

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. मुरलीधर पुत्र भगूता राम निवासी गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 290/2025

जीसीएमएस नं० 2025/542


आदेश

दिनांक - 30/06/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 135 में वादी का गलत दर्ज नाम "मुरली पुत्र भगोता" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "मुरलीधर पुत्र भगूता" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
राजस्थान उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना जिला सीकर

# डिगी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. मुरलीधर पुत्र भगूता राम निवासी गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड


मुकदमा नं. 290 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बल्लमदासपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 135 में वादी का गलत दर्ज नाम "मुरली पुत्र भगोता" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "मुरलीधर पुत्र भगूता" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसवत नरे दस्तावेज व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तावेज  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्ई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्ताम्य अर्जी दावा स्ताम्य वकालतनामा स्ताम्य वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान			स्ताम्य अर्जी दावा स्ताम्य अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।